Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में गिरदावर एवं तीन दलाल 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामकिशन मीणा गिरदावर तहसील आंधी, जिला जयपुर एवं तीन दलाल गिर्राजप्रसाद मीणा, केदार प्रसाद दर्जी, महेश कुमार शर्मा (तीनों प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी खरीदशुदा कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान की कार्यवाही करने की एवज में तहसीलदार आंधी के नाम पर उसके दलाल गिर्राज मीणा एवं अन्य के द्वारा **15 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल 1– गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा निवासी गांव थली, आंधी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 2–केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, आंधी जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 3–महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, आंधी जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) एवं 4–रामकिशन मीणा पुत्र श्री हरबक्श मीणा निवासी सिंहपुरी, थली जमवारामगढ़, जयपुर हाल गिरदावर, तहसील आंधी, जिला जयपुर को परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत करने से पूर्व ही परिवादी से **3 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। प्रकरण में तहसीलदार आंधी की संलिप्तता की विस्तृत जांच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।